

पर्या डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

रण संख्या - 01/2025

दान :


1. जंगीरसिंह पुत्र बचनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. गुरदीपसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. बचनसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्र कौर पुत्री बचनसिंह पत्नी सिगारासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. चरणकौर पुत्री बचनसिंह पत्नी गुरमेलसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बलविन्द्र कौर पुत्री बचनसिंह पत्नी जसवन्तसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी रानियां तहसील रानियां जिला सिरसा।
5. सुरजीत कौर पुत्री बचनसिंह पत्नी भूपेन्द्रपाल सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सुखवंतकौर पुत्री बचनसिंह पत्नी बलविन्द्रसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 23 जीवी विजयनगर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. गुरभगतसिंह उर्फ मंगलसिंह दत्तक पुत्र जीतकौर पत्नी कपूरसिंह जाति मजहबी निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. हरविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण


उप अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955
उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महेश गौड़

:-वादीगण

2 अधिवक्ता सुनील शर्मा
डिप्टी

:-प्रतिवादीगण
दिनांक 28/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्दी के समक्ष वकील वादीगण श्री महेश गौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सयूता एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क.वादी सं० 1 जंगीरसिंह को प्राप्त आराजी:-चकनं० 12 सीडीआर के प०न० 222/264 मु० 30 किलानं० 4, 5/1/228, 5/2/025 गै०मु० खाला, 6/1/228, 6/2/025 है० गै०मु० खाला, 7, 15/1/228, 15/2/025 है० गै०मु०, 16/1/228, 16/2/025 गै०मु०, 25/1/228, 25/2/025 है० गै०मु०, प०न० 223/264 मु० 29 किलानं० 7/1/076 गै०मु० मकान, 7/2/063 नहरी, 7/3/013 है० गै०मु०, 8/1/051, 13,14/.164, 18,19,20,22,23,24, प०न० 223/265 मु० 46 किलानं० 1/2/.215, 2,3,4, 8/2/.101, 9/1/.051,चकनं० 12 सीडीआर के प०न० 223/265 मु० 46 किलानं० 1/1/.038 है०

ख.वादीसं० 2 मोहनसिंह को प्राप्त आराजी:-चकनं० 12 सीडीआर के प०न० 223/265 मु० 46 किलानं० 12/2/.051 है०

ग.वादीसं० 2 व 3 को व०हि०व० प्राप्त आराजी:- चकनं० 12 सीडीआर के खाता सं० 127 में से प्रतिवादीसं० 1 के 1/2 हिस्सा की भूमि

घ.वादीसं० 2, 3 व प्रतिवादी सं० 8 को प्राप्त आराजी:-चक नं० 12 सीडीआर के प०न० 224/267 मु० 64 किलानं० 24, 25/1/.228, 25/2/.025 गै०मु०, प०न० 223/264 मु० 29 किलानं० 15/1/.089 कुल 0.595 है० में से प्रतिवादी सं० 8 को 0.114 है, वादी सं० 2 व 3 को 0.481 है० व०हि०व०

ड.प्रतिवादी महेन्द्र कौर को चक नं० 12 सीडीआर के प०न० 223/264 मु० 29 किलानं० 14/.089 पूर्वी दिशा के विपते उत्तर से दक्षिण, 147 फुट लम्बा, चकनं० 12 सीडीआर के प०न० 222/264 मु० 30 किलानं० 13/.253 है०


च.प्रतिवादीसं० 7 को प्राप्त आराजी:- चकनं० 12 सीडीआर के प०न० 222/266 मु० 50 किलानं० 2/1, 2/2

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर राजरच रिकार्ड में अंकन एवं कलेक्टर चकनं० 12 सीडीआर के खाता सं० 126/106 व खाता सं० 127/109 में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन व चक नं० 12 सीडीआर के खाता सं० 168/147 में से वादी सं० 2 का हिस्सा कम किये जाने तथा चकनं० 12 सीडीआर के प०न०

223/264 मु0 29 किलानं0 15/1 मे से उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम .025 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाकर रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

500 रूपये का रआम्प ईजराय फार्म के सलंगन रहे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो और यदि रहनशुदा रकबा प्रभावित नही हो रहा है तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण प्रसाद)
उपरामुख अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी